

ब्याज टुडे

वैश्विक पण्य (Merchandise) व्यापार का 80 प्रतिशत से अधिक व्यापार मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) आधार पर होता है

विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि 1990 के दशक के बाद से अधिमान्य व्यापार समझौतों (PTAs) के बढ़ने के बावजूद MFN सिद्धांत ने अपने महत्त्व को बरकरार रखा है। मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) के बारे में

- इस सिद्धांत के अनुसार कोई देश सामान्यतः अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता।
 - ⊕ सरल शब्दों में, यदि कोई देश किसी अन्य देश को विशेष लाभ देता है (जैसे कि उसके किसी उत्पाद पर कम सीमा शुल्क दर) तो उसे अन्य सभी WTO सदस्यों के लिए भी ऐसा ही प्रावधान करना होगा।
- यह सिद्धांत मुख्य रूप से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT), 1994 के अनुच्छेद-I में अंतर्निहित है।
 - ⊕ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस (GATS) और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते (ट्रिप्स/ TRIPS) में भी MFN को प्राथमिकता दी गई है।
- कार्यान्वयन के लिए तंत्र: WTO के सदस्य देश स्वचालित रूप से एक-दूसरे को MFN का दर्जा प्रदान करेंगे, जब तक कि वे अपने समझौते में या WTO को अधिसूचित प्रतिबद्धताओं की अनुसूची के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपवाद नहीं बताते हैं।
 - ⊕ भारत ने कई देशों को MFN का दर्जा दिया है।
- MFN के लिए अपवाद
 - ⊕ व्यापार समझौते: इसमें क्षेत्रीय व्यापार समझौते (RTA) और अधिमान्य व्यापार व्यवस्थाएं (PTAs) शामिल हैं।
 - ◆ जैसे- ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) समझौता।
 - ⊕ सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) योजना: इसके तहत, विकसित देश विकासशील देशों और अल्पविकसित देशों (LDCs) से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर अधिमान्य टैरिफ उपचार (जैसे आयात पर शून्य या कम शुल्क) की व्यवस्था कर सकते हैं।
 - ⊕ अन्य: एंटी-डॉपिंग शुल्क, काउंटरवेलिंग शुल्क, आदि।

महत्वपूर्ण शब्दावलि

- एंटी-डॉपिंग शुल्क: ये वे अतिरिक्त शुल्क हैं, जिन्हें सरकार द्वारा अन्य देशों से आयातित उन वस्तुओं पर लगाया जाता है, जिन्हें व्यापार के सामान्य क्रम में आयात के दौरान कीमत से कम कीमत पर आयात किये जाने वाले बाजार में बेचा जाता है।
- काउंटरवेलिंग शुल्क: ये आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क हैं। ये शुल्क WTO के सदस्य तब लगा सकते हैं, जब सब्सिडी वाले आयातों से उनके घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचता हो।

सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत के 10 वर्ष पूरे हुए

केंद्र सरकार के अनुसार नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं।

- गौरतलब है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान' के तहत हुई थी।
- इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में लड़कियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करना है।

सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में

- यह भारत सरकार की एक 'लघु बचत योजना' है। यह विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा और विवाह संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए शुरू की गई है।
- कार्यान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय।
- खाता खोलने के लिए पात्रताएं:
 - ⊕ किसी भी लड़की के नाम से उसकी 10 साल की आयु तक सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है।
 - ⊕ खाता डाकघर या वाणिज्यिक बैंकों में खोला जा सकता है।
 - ⊕ प्रत्येक लड़की के नाम पर केवल एक सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है।
 - ⊕ एक माता-पिता केवल दो लड़कियों के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं।
- जमा की जाने वाली राशि:
 - ⊕ न्यूनतम जमा राशि: 250 रुपये।
 - ⊕ एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।
- खाते का प्रबंधन: जब तक लड़की 18 वर्ष की नहीं हो जाती है, तब तक खाता अभिभावक द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- जमा राशि पर देय ब्याज: वर्तमान में ब्याज दर 8.2% है।
- जमा राशि की निकासी:
 - ⊕ उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य से 18 वर्ष की आयु में 50% धनराशि निकालने की अनुमति है।
 - ⊕ यदि 18 वर्ष की आयु के बाद लड़की की शादी होती है, तो खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है।
- मैच्योरिटी: खाता खोलने की तारीख से 21 वर्षों के बाद सुकन्या समृद्धि खाता मैच्योर हो जाता है।
- सुकन्या समृद्धि की मुख्य उपलब्धि: कई गांवों में, 10 साल तक की सभी पात्र लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। इन गांवों को पूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम का दर्जा दिया गया है।



भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई

यह रिपोर्ट केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने जारी की है।

- यह रिपोर्ट भारत को विकासशील देशों में पहला ऐसा देश बनाती है, जिसने 'आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)' के फ्रेमवर्क का डिजिटल अर्थव्यवस्था के नवीनतम आकार का आकलन करने के लिए उपयोग किया है।
- वैसे इस रिपोर्ट में OECD एप्रोच के अलावा कुछ अन्य पहलुओं को भी शामिल किया गया है। जैसे कि इसमें व्यापार; बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं व बीमा (BFSI) जैसे पारंपरिक उद्योग और शिक्षा की डिजिटल अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी को भी शामिल किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति:


- डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में भारत की राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया था। 2024-25 तक इसके बढ़कर 13.42% तक होने का अनुमान है।
- 'भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024' के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे डिजिटलाइज्ड देश है।

प्रमुख क्षेत्र/ घटक:

- डिजिटल रूप से सक्षम उद्योग: इनमें सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सेवाएं, दूरसंचार आदि शामिल हैं। देश के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में इनका 7.83% का महत्वपूर्ण योगदान है।
- बिग टेक कंपनियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे नए डिजिटल उद्योग।
- पारंपरिक क्षेत्रों के डिजिटलीकरण ने राष्ट्रीय GVA में अतिरिक्त 2% का योगदान दिया है।
- रोजगार के अवसर: डिजिटल क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2022-23 में 14.67 मिलियन (1.46 करोड़) लोगों को रोजगार प्रदान किया था, जो देश के कुल कार्यबल का 2.55% है।
- अनुमानित वृद्धि: वित्त वर्ष 2029-30 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय आय में लगभग 20% (1/5 हिस्सा) का योगदान देने का अनुमान है। इस तरह यह कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों से आगे निकल जाएगी।

रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें:

- सभी लोगों तक उच्च गुणवत्ता वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने की आवश्यकता है।
- डेटा की कमी को दूर करने के लिए नए डेटा को संग्रहित और एकत्रित करके सामंजस्य स्थापित करना चाहिए आदि।



CBDT ने दोहरे कराधान परिहार समझौतों (DTAAs) के तहत "प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट" के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए

हाल ही में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भारत के दोहरे कराधान परिहार समझौतों (DTAAs) के तहत "प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट" के उपयोग पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य कर चोरी रोकना है।

- नये दिशा-निर्देश भारत-साइप्रस DTAA, भारत-मॉरीशस DTAA और भारत-सिंगापुर DTAA के तहत कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान करते हैं।
- ये दिशा-निर्देश कर एजेंसियों को पूरक मार्गदर्शन के लिए बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) एक्शन-प्लान 6 के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र मॉडल टैक्स कन्वेंशन की मदद लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हालांकि, इनका उपयोग भारत की शर्तों के तहत किया जाना चाहिए।
- BEPS एक्शन-प्लान 6 में DTAA प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए 'ट्रीटी शॉपिंग' की गतिविधियों को रोकने से संबंधित उपाय किए गए हैं।
 - 'ट्रीटी शॉपिंग': यदि कोई देश DTAA में शामिल न हो, लेकिन वहां की कोई कंपनी या रेजिडेंट इस समझौते का दुरुपयोग करते हुए निवेश के माध्यम से टैक्स से बचने का प्रयास करती/ करता है, तो उसे ट्रीटी शॉपिंग कहते हैं।

प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट (PPT) क्या है?

- यह टैक्स पर अंतरराष्ट्रीय नियमों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य कर संधियों के दुरुपयोग को रोकना है।
- यह "बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) को रोकने हेतु कर संधि से संबंधित प्रावधानों को लागू करने वाले बहुपक्षीय कन्वेंशन" के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह कन्वेंशन 1 अक्टूबर, 2019 को भारत के लिए लागू हुआ था।
- इस कन्वेंशन ने कुछ देशों के साथ भारत के दोहरे कराधान परिहार समझौतों (DTAAs) को भी संशोधित किया है।
- BEPS फ्रेमवर्क के तहत प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट इस तथ्य का परीक्षण करता है कि क्या कोई बिजनेस अरेंजमेंट वास्तव में वाणिज्यिक उद्देश्य वाला है या उसका उद्देश्य करों से बचना है।

दोहरा कराधान परिहार समझौता (DTAA) क्या है?

- DTAA दो देशों या राज्यक्षेत्रों के बीच एक समझौता या संधि है। इसका उद्देश्य दो अलग-अलग देशों/ राज्यक्षेत्रों में एक ही संपत्ति पर दोहरे कराधान (यानी दो जगह कर लगाने) से बचना है।
- DTAA का प्राथमिक उद्देश्य समझौते में शामिल प्रत्येक देश के कर अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके करदाताओं पर कर का बोझ कम करना है। ऐसे समझौतों से विदेशी व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- DTAA के मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल होते हैं:
 - समझौते में शामिल देशों के बीच कर संग्रह अधिकारों का आवंटन,
 - कर दरें निर्धारित करना,
 - कर लगाने/ वसूलने वाली एजेंसियों के बीच कर-संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान, आदि।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेतक (GI) टैग का लक्ष्य रखा

मंत्रालय ने 605 GI टैग के मौजूदा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देखरेख के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। यह लक्ष्य एक समय सरकार दृष्टिकोण के माध्यम से हासिल किया जाएगा।

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग के बारे में

- परिभाषा: GI एक ऐसा चिह्न है, जिसका उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। साथ ही, इन उत्पादों की अपनी उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा भी होती है।
- कवरेज: इसका उपयोग कृषिगत, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है।
- अवधि: 10 वर्ष और इसे नवीनीकृत भी किया जा सकता है।
- प्रासंगिकता: यह किसी उत्पाद के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, निर्यात को बढ़ावा देता है, गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, आदि।
- विनियमन/ मान्यता
 - वैश्विक:
 - इसे औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs) के रूप में मान्यता दी गई है।
 - यह ट्रिप्स/ TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू) समझौते के अंतर्गत भी शामिल है।
 - भारत:
 - यह वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत विनियमित है।
 - पंजीकरण: भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार (RGI) द्वारा।
 - नोडल विभाग/ मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग।

भारत में GI

- पहला GI उत्पाद: पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय।
- सर्वाधिक GI टैग: सबसे अधिक GI टैग उत्तर प्रदेश के पास हैं। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है।
- कुछ हालिया महत्वपूर्ण GI टैग: असम का बोडो नार्जी (जूट के पत्तों से बना एक अर्ध-किण्वित व्यंजन), 'तिरंगी बर्फी' (उत्तर प्रदेश), रीसा टेक्सटाइल (बिपुरा), आदि।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विस्तार को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) 2013 में शुरू किया था। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को सम्मिलित करके आरंभ किया गया था।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में

- उद्देश्य: इसमें ऐसी न्यायसंगत, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना की गई है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी हों।
- NHM के घटक और शुरू की गई पहलें
 - प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A): इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए जननी सुरक्षा योजना (JSY) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) शामिल हैं।
 - संचारी रोग नियंत्रण: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) और संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) के अंतर्गत टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV/ AIDS आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
 - गैर-संचारी रोग (NCDs): कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS) के माध्यम से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर की जांच एवं प्रबंधन का उपबंध किया गया है।
 - अन्य: शहरी स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) कार्यक्रम आदि।
- कार्यान्वयन: इसका कार्यान्वयन केंद्र सरकार से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के जरिए राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- निधि साझाकरण: केंद्र सरकार और राज्यों के बीच 60:40 तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में।

NHM की प्रमुख उपलब्धियां

- 1990 के बाद मातृ मृत्यु दर (MMR) में 83% (2018-20 में 97 प्रति लाख) की गिरावट आई है, जो 45% की वैश्विक गिरावट से अधिक है।
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) में 75% (2020 में 32 प्रति 1000) की कमी आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 60% है।
- रोग उन्मूलन और नियंत्रण: कालाजार उन्मूलन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, खसरा-रुबेला टीकाकरण अभियान में 97.98% का कवरेज हासिल किया गया है, आदि।

अन्य सुर्खियां



आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रसार के लिए फ्रेमवर्क (Framework for Artificial Intelligence Diffusion)

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रसार के लिए फ्रेमवर्क' जारी किया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मार्केट के लिए निर्यात और सुरक्षा नियम लागू करना है।

- इस फ्रेमवर्क के तहत, भारत द्वारा GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध भारत की कंप्यूटिंग क्षमता को सुरक्षित तरीके से होस्ट नहीं करने की स्थिति में लागू होंगे।

'AI प्रसार के लिए फ्रेमवर्क' के बारे में

- यह फ्रेमवर्क उन्नत AI तकनीक के प्रसार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, ताकि इसके आर्थिक और सामाजिक लाभों को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों की रक्षा भी की जा सके।
- यह निम्नलिखित लि-स्तरीय रणनीति पर आधारित है:
 - विशेष छूट: कुछ सहयोगी देशों और भागीदारों को AI तकनीक और GPU के निर्यात एवं पुनः निर्यात की अनुमति दी गई है।
 - सप्लाई चेन में छूट: उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स के निर्यात की अनुमति देने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में कुछ छूट दी गई है।
 - आंशिक छूट: सीमित मात्रा में कंप्यूटिंग संसाधनों के वैश्विक स्तर पर विनियम की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह छूट उन देशों के लिए नहीं है, जिन पर हथियारों की खरीद-बिक्री के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है।



फिलाडेल्फिया कॉरिडोर

इजरायल और हमास के बीच हालिया युद्ध विराम की शर्तों में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से इजरायल की वापसी का भी प्रावधान है।

फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में

- इस कॉरिडोर को मूल रूप से 1979 की इजरायल-मिस्र शांति संधि के तहत स्थापित किया गया था।
- यह गाजा-मिस्र सीमा के साथ भूमि की एक संकरी पट्टी है। यह लगभग 14 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी है।
- यह कॉरिडोर दक्षिणी गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
- यह भूमध्य सागर से शुरू होकर इजरायल सीमा के साथ केरेम शालोम तक जाता है।
- 2005 में गाजा से इजरायली बस्तियों और सैनिकों की वापसी के बाद इसे विस्फोटित सीमा क्षेत्र घोषित कर दिया गया था।



कीलिंग कर्व

कीलिंग कर्व रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इसकी मुख्य वजह जंगलों में लगी आग और इंसानी गतिविधियां थीं।

कीलिंग कर्व के बारे में

- यह समय के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में CO₂ की मात्रा दर्शाने वाला एक ग्राफ है। इसमें CO₂ की मात्रा को पार्ट्स पर मिलियन (PPM) में मापा जाता है।
- हवाई द्वीप स्थित मौना लोआ वेधशाला में 1958 से लगातार CO₂ की मात्रा का मापन कार्य किया जा रहा है।
- इस कर्व का विकास चार्ल्स डेविड कीलिंग ने किया था।
- महत्त्व: यह वैश्विक वायुमंडल में परिवर्तन के सबसे मुख्य संकेतकों में से एक है।

अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष (International Year of Glaciers' Preservation)

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को 'अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की।

- साथ ही, साल 2025 से शुरू होकर प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को 'विश्व ग्लेशियर दिवस' के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया है।

'अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष' के बारे में

- यह वर्ष यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।
- उद्देश्य:
 - जलवायु की प्रणाली और जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना; तथा
 - पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में परिवर्तन के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना।
- ग्लेशियरों का महत्त्व: दुनिया में 2,75,000 से अधिक ग्लेशियर हैं। ये लगभग 700,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। ये ग्लेशियर्स विश्व में 70% ताजे जल की आपूर्ति के स्रोत हैं।

फ्लोराइड

संयुक्त राज्य अमेरिका के नामित स्वास्थ्य मंत्री ने अमेरिकी जल-आपूर्ति में फ्लोराइड मिलाने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है।

फ्लोराइड के बारे में

- फ्लोराइड जल, मृदा और हवा में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है। यह दांतों में कैविटी और दांतों की सड़न को रोकने में सहायक होता है।
- साइड-इफेक्ट: पेयजल और खाना पकाने के जल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा के कारण आमतौर पर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में फ्लोरोसिस (फ्लोराइड के कारण दांतों का बदरंग होना) हो सकता है।
 - इसके अलावा इसके संपर्क में आने से गर्भ में पल रहे भ्रूण, शिशु और बच्चों के तंत्रिका-तंत्र का विकास भी अवरुद्ध हो सकता है।
- सेवन हेतु निर्धारित मानक: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुसार, जल में फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा 1 PPM (पार्ट्स पर मिलियन) या 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। इसकी मात्रा जितनी कम होगी उतना बेहतर होगा।

पंगसौ दर्रा

हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश में तीन दिवसीय कार्यक्रम 'पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव' संपन्न हुआ।

पंगसौ दर्रा के बारे में

- स्थान: यह भारत-म्यांमार सीमा पर पटकाई पहाड़ी पर 3,727 फीट (1,136 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है।
- नाम की उत्पत्ति: इसका नाम म्यांमार के निकटवर्ती गांव, पंगसौ के नाम पर रखा गया है।
- ऐतिहासिक महत्त्व: ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में शान जनजाति (अहोम) द्वारा असम पर किए गए आक्रमण का मार्ग यही था।
- कनेक्टिविटी: ऐतिहासिक स्टिलवेल सड़क (लेडो सड़क) नाम्पोंग और पंगसौ दर्रा से होकर म्यांमार में प्रवेश करती है।

जूट की फसल

कैबिनेट ने कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6% बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया।

जूट के बारे में

- जूट को भारत के स्वर्णिम रेशे के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक खरीफ फसल है।
- जलवायु दशाएं:
 - जूट के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें तापमान 15 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए।
 - जूट की खेती के लिए न्यूनतम 1,000 मिमी वर्षा की आवश्यकता होती है।
- मृदा: नदी घाटियों की मृदा या जलोढ़ या दोमट मृदा सबसे उपयुक्त हैं।
- प्रमुख जूट उत्पादक राज्य: इनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, लिपुला, मेघालय, नागालैंड और ओडिशा शामिल हैं। भारत में उत्पादित कच्चे जूट का 50% से अधिक हिस्सा पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है।

कवचम

केरल ने रियल टाइम में आपदा अलर्ट के लिए 'केरल चेतावनी, संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली (KaWaCHaM)' शुरू की।

कवचम के बारे में

- इसे केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व बैंक के सहयोग से विकसित किया है।
- इसे राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP) के अंतर्गत समर्थित किया गया है।
- यह खतरे का आकलन करेगा, अलर्ट जारी करेगा और खतरा-आधारित एक्शन प्लान प्रदान करेगा।
 - यह अत्यधिक वर्षा जैसी मौसम की चरम घटनाओं के लिए अपडेटेड जानकारी भी प्रदान करेगा।
- इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
 - सायरन-स्ट्रोब लाइट यूनिट्स का एक नेटवर्क;
 - वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के माध्यम से आपातकालीन संचालन केंद्र जुड़े हुए हैं;
 - इसमें निर्णय समर्थन सॉफ्टवेयर और एक बड़ा डेटा सेंटर शामिल हैं आदि।

यूरोड्रोन

भारत यूरोड्रोन प्रोग्राम में पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुआ।

- यूरोड्रोन या यूरोपियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (MALE RPAS) एक दिन-टर्बाप्रॉप MALE मानवरहित हवाई वाहन (UAV) है।
- इसका उपयोग दीर्घकालिक मिशनों जैसे कि इंटेलिजेंस, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और टोह (ISTAR), समुद्री निगरानी आदि के लिए किया जा सकता है।

यूरोड्रोन कार्यक्रम के बारे में

- सदस्य: यह चार देशों की पहल है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन शामिल हैं।
- नेतृत्व: ऑर्गनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन (OCCAR) द्वारा।

मन्नान समुदाय

मन्नान समुदाय के राजा और केरल के एकमाल आदिवासी राजा रमन राजमन्नान दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे।

मन्नान समुदाय के बारे में

- क्षेत्र: मुख्यतः इडुक्की जिले के कुमिली पंचायत में निवास करता है।
- भाषा: उनकी एक अनूठी बोली है, जो तमिल और मलयालम का मिश्रण है।
- व्यवसाय: वे कुशल कृषक हैं, जो विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में फसल उगाने में कुशल हैं।
- धर्म: वे मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करते हैं तथा शिव, विष्णु, भगवती और शास्त जैसे देवताओं की पूजा करते हैं।

